

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 313/17

निर्णय दिनांक 15-11-17

बद्रीनारायण पुत्र केसरीचन्द जाति डागा निवासी बरसलपुर तहसील कोलायत
जिला बीकानेर।

-अपीलांत

-बनाम-

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 23-07-2009
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपरिस्थित:-

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांत
2. श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांत ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 23-07-2009 जिसके द्वारा अपीलांत का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांत ने विशेष आवंटन के तहत आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन सहायक समिति की राय से चक 15-16 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 47/21 बीघा भूमि का पात्र मानकर दिनांक 11-08-2008 को आवंटित की गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को कभी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। जिससे अपीलांत को

आवंटन की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट को सूचना दी जाती तो अपीलांट विधिवत किश्तें जमा कराने को तैयार था व आज भी तैयार है। अदालत मातहत द्वारा विधिवत तामील कराये बिना पत्रावली पेशी में लेकर जैर अपील आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है।

अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23-07-2009 को बिना अपीलांट को कोई नोटिस दिये बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवंटन निरस्त किया है जो कानून व विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। अपीलांट को अदालत मातहत द्वारा जो नोटिस जारी किये गये है उनकी तामिली का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अदालत मातहत द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश मनमाना व जल्दबाजी में पारित किया गया आदेश है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को 20 प्रतिशत राशि 15 दिवस में जमा कराने हेतु दिनांक 21-11-1988 व 30-01-1989 को नोटिस जारी किये किन्तु निर्धारित राशि जमा नहीं करवाई गई। अतः दिनांक 11-08-1988 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस तो जारी किये गये है, परन्तु किसी भी नोटिस की तामिल अपीलांट को नहीं हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23-07-2009 के विरुद्ध अपील दिनांक 06-10-17 को पेश की है। जो करीब 08 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को अदालत मातहत द्वारा विधिवत नोटिस जारी किये जाने के बावजूद अपीलांट निर्धारित राशि 20 प्रतिशत जमा कराने हेतु हाजिर नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलांट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया। अतः अपीलांट आवंटन का इच्छुक नहीं रहा है अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को विशेष आवंटन के तहत चक 15-16 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 47/21 भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवंटन किया गया।

(2) अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को स्वीकृत भूमि की निर्धारित 20 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु नोटिस क्रमांक 13296 दिनांक 21-11-2008 व नोटिस क्रमांक 563 दिनांक 30-01-2009 जारी किया गया। अपीलांट द्वारा उपरोक्त नोटिसों के जारी होने के उपरान्त भी छह माह तक राशि जमा नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट जानबूझकर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया व आवंटन का इच्छुक नहीं रहा है।

(3) चूंकि अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना निर्धारित समयावधि में न तो स्वयं उपस्थित आया ना ही आवंटित भूमि की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटित भूमि का

कब्जा लेने का इच्छुक नहीं रहा है। चूंकि अपीलांट ने आवंटन शर्तों की पालना समयावधि में नहीं की इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया है कि प्रार्थी सूचना मिलने के बाद उपस्थित नहीं हुआ है तथा वह भूमि आवंटन का इच्छुक नहीं रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 23-07-2009 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15-11-12 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर